| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज<br>**शैतान सिंह**<br>**बनाम**<br>**लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़)**<br>सू.अ.अपील संख्या–ऑनलाईन अपील संख्या 353335254816241 | न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 24/03/25 | अपीलार्थी शैतान सिंह निवासी प्लॉट नं. 15, गोपालवाडी, होटल गढ़ गोविन्द, चौपासनी, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दिनांक 23.12.2024 को परिहारों की ढ़ाणियों वाले नलकूप से सुथारों की टंकी तक खराब पाईप लाईन बिछाने वाले पूर्व सरपंच के खिलाफ की गई कार्यवाही से संबंधित प्रमाणित प्रतियां एवं अन्य बिन्दुओं से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ़) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।<br><br>अपील में रेस्पो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ़) को नियत सुनवाई तिथि को आवश्यक दस्तावेज सहित (तथ्यात्मक) उपस्थित होने एवं अपीलार्थी को सुनवाई तिथि हेतु आरटीआई पोर्टल के माध्यम से नोटिस जारी किया गया।<br><br>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। नियत सुनवाई तिथि पर अपीलार्थी अनुपस्थित। रेस्पो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ़) ने जरिये पत्रांक 160 दिनांक 28.02..2025 से बतलाया कि प्रार्थी को सूचना कार्यालय के पत्रांक 102 व 103 दिनांक 30.01.2025 द्वारा उपलब्ध करवाई गई। चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना से लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को अवगत करा दिया गया है अतः लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने से अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।<br><br>(गौरव अग्रवाल)<br>जिला कलक्टर, जोधपुर | |

Signature valid
Digitally signed by G[...]av Agrawal
Designation: Colle[...] & District Magistrate
Date: 2025.03.[...]2:52:36 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14336403